म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स भोपाल

// कार्यालयीन आदेश // 01/23/02/17

क्रमांक /लेखा शाखा/एन.पी.एस/ 2017 भोपाल दिनांक /02/2017

मण्डल के आदेश क्रमांक 364 दिनांक 2/7/15 के तहत मंडल में कार्यरत कार्यभारित कर्मियों को नवीन पेंशन योजना का लाभ 1 मई 2009 से देने का निर्णय लिया जाकर प्रकिया निर्धारित की गयी थी। जिसमें सरल क्रमांक 8 के अनुसार इसे मंडल में कार्यभारित कर्मी हेतु अनिवार्य धोषित किया गया। कर्मचारियों के अभ्यावेदनों के आधार पर मुख्य प्रशासकिय अधिकारी के अभिमत अनुसार एवं शासन के आदेशानुसार कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अधीन सदस्य होने के लिये अनिवार्य न रखते हुए आंशिक संशोधन कर इसे वैकल्पिक किया जाता है ।

तदनुसार वेतन से एन.पी.एस. अंशदान एवं मंडल अंशदान की कटोत्री की राशि के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।

1. जिन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विकल्प के आधार पर असहमति प्रदान की है वे पुरानी योजना के सदस्य यथावत रहेंगे व पूर्व अनुसार ही सुविधाऐं सेवा निवृत्ति तक प्राप्त रहेंगी।
2. इन कर्मचारियों के एन.पी. एस. खाते में दिनांक 1/7/2015 से अभी तक यदि शासकीय अंश की राशि की कटौत्री हुई है तो उसे वापस सी.पी.एफ.भविष्य निधि खाते में हस्तान्तरण किया जावें।
3. विकल्प स्वीकार करने वाले कर्मचारी/अधिकारी द्वारा योजना प्रारंभ होने से पूर्व जमा राशि मय ब्याज सहित मण्डल में जमा रहेगी, जो सेवा निवृत्त पर ही देय होगी। उक्त जमा फण्ड से कर्मचारी को मात्र अंतिम विकर्षण ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

शेष प्रकिया यथावत रहेगी।

मंडल के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

मुख्य लेखा अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, मुख्यालय,भोपाल

निरन्तर–2 पर

क्रमांक 841 /लेखा शाखा/एन.पी.एस/ 2017 भोपाल दिनांक 28/02/2017

प्रतिलिपिः–

01. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, म0 प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल, मुख्यालय भोपाल।
02. अपर आयुक्त (एक/दो) म0 प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल, मुख्यालय भोपाल।
03. मुख्य संपदा अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार म0 प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल, मुख्यालय भोपाल
04. उपायुक्त/लेखा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल, वृत्त–1, 2, विद्युत, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा
05. कार्यपालन यंत्री, म0 प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल संभागः– 1, 2, 3, 4, 5, 6 विद्युत संभाग भोपाल/सागर/परि. सागर/होशंगाबाद/ इंदौर/परियोजना संभाग–इन्दौर/धार/विघुत संभाग–इन्दौर/ खण्डवा / उज्जैन /रतलाम / संभाग –1 , जबलपुर/संभाग–2,जबलपुर/विधुत संभाग –जबलपुर कटनी /छिंदवाड़ा/बालाधाट/संभाग–1 ग्वालियर /संभाग–2 ग्वालियर /गुना/मुरैना संभाग–केन्द्रीय विद्यालय ग्वालियर /संभाग –पुर्नधनत्वीकरण, ग्वालियर /संभाग –रीवा /संभाग–सीधी/संभाग– सतना संभाग – छतरपुर / संभाग–शहडोल/सिंगरौली
06. संपत्ति अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल प्रक्षेत्र–भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा,संभाग :– 1, 2, 3,4,5,6भोपाल/सागर/परि.सागर/होशंगाबाद/इंदौर/परियोजना संभाग–इन्दौर /धार/ खण्डवा/ उज्जैन / रतलाम / संभाग –1,जबलपुर / संभाग–2, जबलपुर/विधुत संभाग–जबलपुर/कटनी/छिंदवाड़ा/बालाधाट/संभाग–1 ग्वालियर/संभाग–2/ग्वालियर/गुना/मुरैना/संभाग–केन्द्रीय–विद्यालय ग्वालियर/संभाग–पुर्नधनत्वीकरण–ग्वालियर/संभाग–रीवा/संभाग–सीधी संभाग–सतना/ संभाग–छतरपुर /संभाग–शहडोल/संभाग सिंगरौली।

मुख्य लेखा अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, मुख्यालय,भोपाल,